भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अर्जुन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री धीरेन्द्र सिंह खाती, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **17.03.2016** से **28.03.2016** तक श्री सुशील बहुगुणा, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **10.00 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **9,307**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **07**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **13 (नियमित) एवं 35 आउटसोर्सिंग/संविदा पर**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **88 दुकानें, 02 बारातघर, 02 लॉज, 01 कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	18061940	395967	26903524	22434528	37164971	15002414	0	22530936	0	22558524
2015-16	22530936	22558524	29116107	36421754	20849847	39421819	0	15225289	0	3986552
2016-17	15225289	3986552	28975402	32663044	49254577	39570992	0	11537647	0	13670137
कुल योग			**84995033**	**91519326**	**107269395**	**93995225**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2594000	2594000	2594000	0
2	राज्य वित्त आयोग	1288630	22409000	23697630	14728582	8969048
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	0	2613000	2613000	0	2613000
4	दैवीय आपदा	485	5029000	5029485	5000000	29485
5	सांसद निधि (ब्याज सहित)	395482	0	395482	375000	20482
6	पर्यटन मद	0	150000	150000	0	150000
7	चारधाम यात्रा अनुदान	0	500000	500000	500000	0
8	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	0	12656500	12656500	0	12656500
9	राजीव आवास योजना (ब्याज सहित)	0	12939471	12939471	6483414	6456057
10	अलाव हेतु	0	50000	50000	50000	0
11	NULM-रैनबसेरा हेतु	0	633000	633000	0	633000
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	16773310	4494524	21267834	7705946	13561888
	कुल योग	**18457907**	**64068495**	**82526402**	**37436942**	**45089460**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	4657000	4657000	4433654	223346
2	राज्य वित्त आयोग	8969048	22409000	31378048	31179423	198625
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	2613000	41197	2654197	2027512	626685
4	दैवीय आपदा	29485	5708250	5737735	3708200	2029535
5	सांसद निधि (ब्याज सहित)	20482	235189	255671	9379	246292
6	पर्यटन मद	150000	400000	550000	150000	400000
7	चारधाम यात्रा अनुदान	0	700000	700000	700000	0
8	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	12656500	0	12656500	12656500	0
9	राजीव आवास योजना (ब्याज सहित)	6456057	7842211	14298268	14261300	36968
10	अलाव हेतु	0	0	0	0	0
11	NULM-रैनबसेरा हेतु	633000	1266000	1899000	1475274	423726
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	13561888	6707107	20268995	5242331	15026664
	कुल योग	**45089460**	**49965954**	**95055414**	**75843573**	**19211841**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	223346	6094000	6317346	3546949	2770397
2	राज्य वित्त आयोग	198625	22409000	22607625	20868551	1739074
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	626685	1711806	2338491	0	2338491
4	दैवीय आपदा	2029535	0	2029535	1990020	39515
5	सांसद निधि (ब्याज सहित)	246292	8023	254315	225000	29315
6	पर्यटन मद	400000	500000	900000	400000	500000
7	चारधाम यात्रा अनुदान	0	1000000	1000000	1000000	0
8	जे.एन.एन.यू.आर.एम. (ब्याज सहित)	0	13108488	13108488	12656500	451988
9	राजीव आवास योजना (ब्याज सहित)	36968	25063651	25100619	17824803	7275816
10	हुड़को से प्राप्त अनुदान (ब्याज सहित)	0	1768609	1768609	1750000	18609
11	NULM-रैनबसेरा हेतु (ब्याज सहित)	423726	0	423726	177720	246006
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	15026664	6566402	21593066	11794493	9798573
	कुल योग	**19211841**	**78229979**	**97441820**	**72234036**	**25207784**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2594000	2594000	2594000	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	4657000	4657000	4433654	223346
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	223346	6094000	6317346	3546949	2770397
2014-15	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	0	12656500	12656500	0	12656500
2015-16	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	12656500	0	12656500	12656500	0
2016-17	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	0	13108488	13108488	12656500	451988
2014-15	राजीव आवास योजना	0	12939471	12939471	6483414	6456057
2015-16	राजीव आवास योजना	6456057	7842211	14298268	14261300	36968
2016-17	राजीव आवास योजना	36968	25063651	25100619	17824803	7275816

भाग II-'ब'

प्रस्तर 01: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `4,34,113/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग, जनपद- रूद्रप्रयाग के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर-दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **11** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`4,36,21,226/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`4,36,213/-** की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से केवल **`2,100/-** के लेबर सेस की ही कटौती करके राजकोष में जमा कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष `**4,34,113/-** की बकाया वसूली संबन्धित ठेकेदारों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी | इस संबंध में ठेकेदारों के साथ पत्राचार किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग द्वारा चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक)							
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
					जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2015-16	हुड़को अनुदान	श्री राजेन्द्र रम्ल्वाण, गुलाबराय फील्ड के समीप सामुदायिक भवन हेतु साइट डेव्लपमेंट कार्य एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	1434188	14342	0	14342
2	2015-16	हुड़को अनुदान	श्री राजेन्द्र रम्ल्वाण, ममगईं के घर के समीप से सूरीहोटल तक सी सी मार्ग, नाली एवं रेलिंग निर्माण कार्य	693000	6930	2100	4830
3	2015-16	दैवी आपदा (PIU)	श्री सुन्दर सिंह पंवार, ग्राम सांदर के नैल तोंक से शमशान घाट तक रास्ता पुनर्निर्माण कार्य	311269	3113	0	3113
4	2015-16	दैवी आपदा (PIU)	श्री इंद्र सिंह बिष्ट, नगरपालिका कार्यालय रूद्रप्रयाग के समीप क्षतिग्रस्त स्नानघाट का पुनः निर्माण कार्य	2594745	25947	0	25947
5	2015-16	दैवी आपदा (PIU)	माई की मण्डी में क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कार्य	3716050	37161	0	37161
6	2015-16	दैवी आपदा (PIU)	संगम रूद्रप्रयाग में क्षतिग्रस्त मार्ग एवं रेलिंग का पुनः निर्माण कार्य	2626000	26260	0	26260
7	2015-16	राज्य वित्त	श्री अशोक सती, वार्ड नं.-02, पंजाब नेशनल बैंक के सामने दो दुकानों का निर्माण कार्य	855000	8550	0	8550
8	2015-16	NULM-रैनबसेरा	श्री अशोक सती, रूद्रप्रयाग बस स्टेशन पर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों के प्रथम ताल पर रैनबसेरा निर्माण कार्य	1475274	14753	0	14753
9	2015-16	JnNURM	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग क्षेत्रांतर्गत 09 वार्डों में फुटपाथ, नाली, रेलिंग, हल्का वाहन मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य	25312700	253127	0	253127

10	2016-17	दैवी आपदा (PIU)	श्री गोविन्द प्रसाद डिमरी, वार्ड नं.-01, जयमण्डी (खील) में पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य	1990000	19900	0	19900
11	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	तूना बौंठा मार्ग से श्री त्रैपन सिंह के मकान तक मार्ग/नाली निर्माण कार्य	2613000	26130	0	26130
			कुल योग	**43621226**	**436213**	**2100**	**434113**

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2: धनराशि `1.14 करोड़ की विभिन्न सामग्री/विधयुत उपकरणों के क्रय में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का सम्यक अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 1 के बिन्दु संख्या 3 पर अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतों एवं अध्याय 2 में नियम संख्या 4 से 26 में सामग्री की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। जिसमें नियम संख्या 15 (2) में दो निविदा प्रणाली की प्रक्रिया एवं नियम 21 में कार्यपूर्ति प्रतिभूति के प्रावधान को वर्णित किया गया है।

नगर पालिका रुद्रप्रयाग के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के विभिन्न सामग्री/विधयुत उपकरणों के क्रय संबंधी पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त अवधि में मै॰ उत्कर्स इंटरप्राइजेज़ मेरठ से **`5302741.00 धनराशि के** पार्क बेंच, बस शेल्टर, उत्तल दर्पण ,स्वागत गेट एवं खेल-कूद उपकरण एवं अन्य विभिन्न फर्मों से **`6144237.00 धनराशि** के विध्युत सामग्री एवं उपकरण क्रय किए गए थे जिसका विवरण निम्नवत है: -

क्रमांक	फर्म का नाम	देयक संख्या	दिनांक	व्यय धनराशि	क्रय सामग्री
1.	मै॰उत्कर्ष इंटरप्राइजेज़ मेरठ	15, 16 &17	24/11/15	1979154.00	पार्क बेंच, बस शेल्टर, उत्तल दर्पण ,स्वागत गेट एवं खेल-कूद उपकरण
2.		01	25/05/16	897111.00	
3.		02	25/05/16	615600.00	
4.		42 & 43	21/03/16	1810876.00	
			योग =	**5302741.00**	
1.	मै॰ शार्प ट्रेडिंग कार्पोरेशन देहरादून	21045	10/09/16	882525.00	विध्युत सामग्री&उपकरण
2.		21046	10/09/16	250000.00	
3.		19608	18/09/15	630000.00	
4.		19598	16/09/15	76755.00	
5.		19599	16/09/15	94489.00	
6.		19935	15/12/15	406000.00	
7.		19930	15/12/15	193041.00	
8.		19931	15/12/15	171402.00	
9.		20879	23/07/16	193757.00	
10.		20880	23/07/16	698024.00	
11.	मै॰ साई सेल्स कार्पोरेशन	715	05/08/16	684972.00	
12.	मै॰मित्तल & ब्रदर्स	76	22/12/15	783150.00	
13.		739	11/09/15	467109.00	
14.	मै॰ पल्स सोलर सिस्टम	201560	31/12/15	613013.00	
			योग =	**6144237.00**	
			महायोग =	**11446978.00**	

उक्त सामग्रियों की क्रय संबन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा सभी फर्मों से केवल निविदा प्रतिभूति ही ली जा रही थी जबकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम संख्या 21 के अनुसार संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन सुनिश्चित किए जाने हेतु सफल निविदादाता से अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुये कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जाएगी जो कि संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए। इकाई द्वारा उक्त सामग्रियों के क्रय हेतु संबन्धित फ़र्मों से अनुबंध गठित किए बिना ही सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यदेश निर्गत कर सामग्री प्राप्त की गयी थी। पत्रावलियों में मात्र रिक्त स्टैम्प पेपर संलग्न किए गए थे।

पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि स्वागत गेट, बेंच, उत्तल लेंस व पार्क हेतु खेल-कूद उपकरणों की निविदा शर्त के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार **"निर्माता कंपनी/फर्म का सी.ए. द्वारा प्रमाणित वर्ष 2012-13 व 2013-14 का टर्न ओवर कम से कम एक करोड़ का हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा"**। जांच में पाया गया कि उक्त निविदा शर्त के विपरीत **मै॰ उत्कर्ष इंटरप्राइजेज़, मेरठ** के संलग्न सी. ए. द्वारा प्रमाणित पत्र के अनुसार फर्म का टर्न ओवर वर्ष 2012-13 में `73,39,925/- एवं वर्ष 2013-14 में `88,10,755/- था, उसके उपरांत भी फर्म की निविदा पर विचार कर फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया था एवं फर्म से `5302741.00 की सामग्री क्रय की गयी थी।

आगे निविदा शर्त के बिन्दु संख्या 12 व कार्यदेश के अनुसार फर्म द्वारा 30 दिन के अंदर सामग्री की आपूर्ति नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग द्वारा चयनित स्थल पर मय फिक्सिंग करानी होगी अन्यथा विलंब शुल्क आपूर्ति आदेश में उल्लिखित सामग्री के मूल्य की धनराशि का 02 प्रतिशत आपूर्तिकर्ता के बिल से कटौती की जाएगी। पत्रावलियों में संलग्न आपूर्ति आदेशों एवं स्टॉक पंजिका/कम्पनी के बिलों के अनुसार किसी भी सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं की गयी थी परंतु इकाई द्वारा फ़र्मों के देयकों से कोई भी विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। इकाई द्वारा क्रय की गयी विधयुत/अन्य सामग्री के संबंध में इकाई द्वारा करवायी गई लेब टेस्ट/आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता के जांच के संबंध में भी कोई प्रमाण तथा सामग्री की वारंटी/गारंटी/अनुरक्षण संबंधी अनुबंध पत्रावलियों में संलग्न नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये उक्त नियमों/शर्तों का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमों का सम्यक रूप से अनुपालन किया जाना इकाई का दायित्व बनाता है एवं इनका अनुपालन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 03: गृहकर एवं मकान/दुकान किराये की वसूली `13.14 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग, जनपद- रूद्रप्रयाग के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर-दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा मकान/दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	529049	371180	900229	368295 **(41%)**	531934
02.	2015-16	531934	842091	1374025	646188 **(47%)**	727837
03.	2016-17	727837	842091	1569928	847813 **(54%)**	722115

तालिका 2: मकान/दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	1365645	2414338	3779983	2308090 **(61%)**	1471893
02.	2015-16	1471893	2596148	4068041	3197941 **(79%)**	870100
03.	2016-17	870100	2796390	3666490	3074969 **(84%)**	591521

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं मकान/दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`13.14 लाख {(गृहकर `7.22 लाख+मकान/दुकान किराया `5.92 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **41** से **54** प्रतिशत तथा मकान/दुकान किराये के रूप में केवल **61** से **84** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी

विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण कम वसूली हो पा रही है तथा वसूली बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `13.14 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4: मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर के भुगतान के रूप में `8.91 लाख का अलाभकारी व्यय।

कार्यालय नगर पालिका परिषद,रुद्रप्रयाग के देयकों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वाउचर संख्या 378/15 के माध्यम से **मै. आई. टी. एकेडमी, लखनऊ** को नगर पालिका कार्यालय के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर विकसित करने एवं 01 वर्ष के करार हेतुधनराशि **`684000/-** का भुगतान किया गया था। तदोपरांत इकाई द्वारा दिसम्बर 2016 में देयक संख्या 314/16 के माध्यम से उक्त फर्म को द्वितीय वर्ष के करार हेतु **`207000/-** का भुगतान किया गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार फर्म द्वारा नगर पालिका हेतु निम्नांकित मॉड्यूल्स विकसित किए गए थे: -

Sl.No.	Description
1.	Accounts and Budget Monitoring System
2.	Personal Information System
3.	Birth and Death Registration system
4.	Family Registration & Other certification System
5.	House Tax Management System
6.	Assets/Rent Management System
7.	License Management System
8.	Ward Wise Project Management System
9.	Waste Disposal Management System
10.	Litigation Management System
11.	Letter and File Tracking System
12.	PWD Works Management System
13.	Street Light Management System
14.	Website Dynamic Design and Development (Approximate 50 pages)
	Domain Name Registration (Annual Charge)
	Hosting and Web space 1 GB (Annual Charge)

आगे जाँचे में पाया गया कि इकाईद्वारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयरके अंतर्गत विकसित किए गए उपरोक्त मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था एवं समस्त कार्य मैनुअल रूप से ही किया जा रहा था जिससे उपरोक्त मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना एवं उस पर व्यय धनराशि **`8,91,000/-**औचित्यहीन था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया उपरोक्त सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाये जाने में परेशानियाँ आ रही है जिसमे से कुछ का फर्म द्वारा निराकरण किया गया था। नगर पालिका की आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था परंतु वर्तमान में मात्र 02 मॉड्यूल्स (Birth and Death Registration system एवं Family Registration & Other certification System) ही प्रयोग में लाये जा रहे हैं।इकाई द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मॉड्यूल्सकी कोई भी रिपोर्ट लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कारवाई गयी थी। इकाई द्वारा सॉफ्टवेयर के रख-रखाव हेतु फर्म के साथ किया गया अनुबंध भी समाप्त हो गया था। इकाई द्वारा Budget & Accounting का रख-रखाव भी दूसरे सॉफ्टवेयर (Talley) में किया जा रहा है।

इकाई के उत्तर व साक्ष्यों से दृष्टिगत था कि इकाई द्वारा उपरोक्त मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना एवं उस पर व्यय धनराशि `**8,91,000/-** औचित्यहीन व अलाभकारी था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 5: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना |

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 3.0 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष केवल 2.5 मीट्रिक टन का ही उठान किया जा रहा था | इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जा रहा था परन्तु वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था | ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था | इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन, वाहन एवं उपकरणों में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		आवश्यक्ता	उपलब्धता	कमी
बिन (1.0 घन मी.)		50	24	26
कूड़ा वाहन	Tipper	02	01	01
	Tractor	02	01	01
	Bolero Pikup	03	02	01
कोम्पेक्टर		02	01	01

इस प्रकार नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पालिका के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन, वाहन एवं उपकरणों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संशाधनों की कमी के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था जबकि इकाई के पास स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध थे |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **23 नवम्बर 2017** से **01 दिसम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-86/2015-16/263 दिनांकित 15.06.2016	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 05	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 1 : मकान/दुकान किराया (`14,71,893/-), भवन कर (`5,31,934/-) एवं पार्किंग ठेके की (`80,000/-) लम्बित वसूली का प्रकरण	1- मकान/दुकान किराये की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है | अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें | 2- भवनकर की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है | अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें | 3- पार्किंग ठेका वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि `80,000/- की वसूली की जा चुकी है | रसीद की छायाप्रति संलग्न है |	इकाई द्वारा मकान/दुकान किराये एवं भवनकर की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर उसे भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 03 में सम्मिलित कर प्रतिवेदित किया गया है | इकाई द्वारा पार्किंग ठेका वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि `80,000/- की वसूली की जा चुकी है तथा इस सम्बंध में वसूली की रसीद संख्या 25/39 दिनांकित 02-02-2016 लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है |	उक्त प्रस्तर को इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर एवं मकान/दुकान किराये तथा भवनकर की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति के आधार पर निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है |

स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-86/2015-16/263 दिनांकित 15.06.2016				
	भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 2: नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) 2000 के नियमों का पालन न करना।	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबन्धित अद्यतन विवरण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है। अद्यतन स्थिति के आधार पर प्रस्तर को निरस्त करने की कृपा करें।	इकाई द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का डोर-टु-डोर कलेक्शन कर निस्तारित किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अद्यतन स्थिति को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब के प्रस्तर संख्या 05 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।	उक्त प्रस्तर की अद्यतन स्थिति को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब -05 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्त प्रस्तर को अद्यतन के उपरान्त पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।
	भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 3: श्रम उपकर प्रावधान करके निर्माण कार्यों से कटौती कर श्रमिक कल्याण बोर्ड निधि में जमा न किया जाना।	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की आपत्तियाँ वर्तमान लेखापरीक्षा दल द्वारा वर्तमान लेखापरीक्षा में सम्मिलित कर ली गई हैं। नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेबर सेस की नियमित कटौती की जा रही है। साक्ष्य स्वरूप बिलों के वाऊचरों की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत है। अतः उक्त प्रस्तर की निस्तारित करने की कृपा करें।	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की लेबर सेस की आपत्तियों को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब के प्रस्तर संख्या 01 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है। इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेबर सेस की नियमित कटौती की जा रही है। इकाई द्वारा वर्तमान में लेबर सेस की कटौती के साक्ष्य के रूप में ट्रेजरी चालान की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।
	भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 4: दैवीय आपदा (पी.आई.यू) के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों से रॉयल्टी एवं जमानत की धनराशि की कटौती न किया जाना।	दैवीय आपदा (पी.आई.यू) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों से पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। शेष धनराशि 25 प्रतिशत शेष थी। धनराशि प्राप्त होने पर अन्तिम देयक से रॉयल्टी एवं जमानत की धनराशि के कटौती कर ली गई है। साक्ष्य स्वरूप चालान की छायाप्रति प्रस्तुत।	1- इकाई द्वारा प्रस्तर में लिखित रॉयल्टी की धनराशि `2,67,861/- की ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दी गई है।  2- इकाई द्वारा प्रस्तर में लिखित जमानत की धनराशि `8,02,276/- की ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर ली गई है।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री एम.एल.शाह	अधिशासी अधिकारी	01.04.15 से 31.03.17 तक
02.	श्री राकेश नौटियाल	अध्यक्ष	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, जनपद-रूद्रप्रयाग** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/36 दिनांकित 02.12.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-01

दिनांक : _____